

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.2(6)नविवि/II/2012/पार्ट

जयपुर, दिनांक: 26 NOV 2019

आदेश

प्रशासनिक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में स्वीकृत निदेशक नगर आयोजना के पद को अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक स्तर के समकक्ष पद में एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से परिवर्तित किया जाता है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,




(त्रिभुवनपति)

शासन संयुक्त सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मन्त्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
4. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
5. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. निदेशक (नगर आयोजना), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
8. रक्षित पत्रावली।



शासन संयुक्त सचिव-द्वितीय